बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक–................................/

संचिका संख्या–03/आ.1–46/2022....................../ क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक–78 दिनांक–06.05.2022 द्वारा श्री पवन कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, बांका, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों यथा–निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं होना एवं अग्रिम सूचना उपलब्ध नहीं कराना, जनता दरबार में प्राप्त मामलों का अनुपालन ससमय नहीं करना, मनमाने तरीके से संचिका का संचालन करना, निलंबित शिक्षकों पर ससमय आरोप पत्र गठित नहीं करना, सेवान्त लाभ से संबंधित मामलों का ससमय निष्पादन नहीं करनां, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाँका के द्वारा नियम के प्रतिकूल शिक्षकों के प्रतिनियोजन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना, आदेश का लगातार अवहेलना किया जाना एवं पदीय आचरण के विरूद्ध कार्य करना के आलोक में श्री कुमार से बचाव अभिकथन की मांग गयी एवं कई बार स्मारित भी किया गया। श्री कुमार द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

2. श्री कुमार का बचाव अभिकथन अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–14 दिनांक–03.01.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. श्री कुमार के दिनांक–30.11.2025 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्त के फलस्वरूप संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को विभागीय आदेश सं.–345389 दिनांक–06.01.2026 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी.) में स्वतः सम्परिवर्तित समझे जाने का आदेश निर्गत किया गया।

4. श्री पवन कुमार के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–25 दिनांक–01.01.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में कतिपय आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

5. प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय पत्रांक–348228 दिनांक–12.01.2026 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री कुमार का लिखित अभ्यावेदन/निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार के इस मामले पर विचारण तक अप्राप्त रहा।

6. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18 (3) में वर्णित है कि अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, उप नियम (2) में यथा उपबंधिक स्वयं के निष्कर्ष, यदि कोई हो, के साथ, सरकारी सेवक को भेजेगा या भेजवायेगा, जो यदि वह ऐसा चाहे, अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित कर सकेगा। इनका लिखित अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित करने की निर्धारित समय–सीमा समाप्त हो जाने से यह परिलक्षित हुआ कि इन्हें प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना है। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई समीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि आरोपित पदाधिकारी से जिस स्तर की तत्परता अपेक्षित थी, उसमें अभिरूचि का अभाव, स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति उदासीनता एवं शिथिलता पाई गई।

7. इस आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पवन कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, बांका, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी.) के अंतर्गत

"पेंशन से 02 वर्षों के लिए 05 प्रतिशत की राशि की कटौती " की शास्ति विनिश्चित की गई एवं इस विनिश्चित शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

8. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–417 दिनांक–12.05.2026 द्वारा श्री पवन कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, बांका, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर आयोग की सहमति संसूचित की गई है।

9. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पवन कुमार, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, बांका, सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"पेंशन से 02 वर्षों के लिए 5 प्रतिशत की राशि की कटौती"।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह./–

(मनोरंजन कुमार)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ.1–46/2022 ?/416884 / पटना, दिनांक 14/05/2026 /

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा.शि.)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री पवन कुमार, तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बाँका–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बाँका सम्प्रति सेवानिवृत (पत्राचार पता :– मो. राजवाटी लेन आदमपुर, पोस्ट – भागलपुर मुख्य शाखा, थाना–आदमपुर, जिला–भागलपुर, बिहार पिन कोड–812001) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
निदेशक (प्रशासन)
Date: 14-05-2026 15:53:21